उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद।

पत्रांकः 797–E/Policy/Allowances
दिनांक : 12/12/2017

RBE No.164/2017
NCR PS No.5199/2017

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि. उप महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक/सा. मु.प्रशा. अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शॉप झांसी।
मुख्य कारखाना प्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक/झांसी, उप मु. अभि/सीपीओएच/इला., उप मु. अभि./सीएसपी इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद, एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झांसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झांसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेंनिग सेन्टर, झांसी, ट्रान्सपोर्टेशन ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झांसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,
मु.प्रा. अधि./आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाइन/इला./झांसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज लाईन/झांसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Sub- Implementation of the Government's decision on the recommendations of the 7th Pay Commission on CCS(Extraordinary Pension) Rules 1939- Constant Attendant Allowance -regarding

The copy of Railway Board's letter No F(E)III/2009/PN1/6 dated 08.11.2017 is sent herewith for your information, guidance and necessary action please.

Policy letters circulated under NCRPS Nos. may also be downloaded from website www.ncr.indianrailways.gov.in
(About us/Department/Personnel/NCR Policy Circulars)

DA: As above.

12.12.17

(V.P. Singh)
pSr. Personnel Officer/HQ
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
4. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए
8. महामंत्री एस सी/एस टी एशोसिएशन
9. महामंत्री ओबीसी एशोसिएशन

महाप्रबन्धक कार्यालय
उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
RB
10 NOV 2017
महाप्रबन्धक सचिव

PFA
PCPO

PC-VII No.: 74 /2017
R.B.E. No.: 164/2017

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

RBL-2017-2265
14/15-11-17

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, Dated : 08.11.2017**

The GMs/The Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units,
(As per mailing list)
North Central Railway, Allahabad

Subject: **Implementation of Government's decision on the recommendations of the 7th Pay Commission on CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 – Constant Attendant Allowance - regarding.**

****

A copy of Department of Pension and Pensioners' Welfare (DOP&PW)'s O.M. No. 1/4/2017-P&PW(F) dated 3rd October, 2017 on the above cited subject is enclosed for information and compliance. These instructions shall apply mutatis mutandis on Railways also. CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 corresponds to Railway Services (Extraordinary Pension) Rules, 1993. DOP&PW's O.M. No. 1/4/2017-P&PW(F) dated 02.08.2017, referred to in the enclosed O.M. dated 03.10.2017, was circulated on the Railways vide Board's letter of even number dated 22.08.2017.

G. Priya Sudarsani
(G. Priya Sudarsani)
Joint Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

D.A.: As above.

No. F(E)III/2009/PN1/6 **New Delhi, Dated : 08.11.2017**

17.11.17
PCPO

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.222, Rail Bhawan, New Delhi (20 spares).

G. Priya Sudarsani
For Financial Commissioner/Railways

प्र0 मुकाधि0	
मुकाधि0 (प्रशा0)	
मुकाधि0 (आई0 आर0)	
उप मुकाधि0 (राज0)	17/11/17
उप मुकाधि0 (मुख्या0)	
उप मुकाधि0 (आई0आर0)	21/11
अध्यक्ष/रे0म0प्र0	
व0 का0 अधि0 (राज)	
व0 का0 अधि0 (औ0सं0)	
व0का0 अधि0 (मुख्या0)	Policy
मुकाधि0 (आई0आर0)	
मुकाधि0 (भर्ती0)	
[illegible]	

सं. 1/4/2017 - P&PW(F)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन

खान मार्केट, नई दिल्ली -110003

दिनांक : 03 अक्तूबर, 2017

कार्यालय आदेश

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 पर सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार के फैसले का कार्यान्वयन - सतत् परिचर भत्ता - के संबंध में ।

सतत् परिचर भत्ते को संशोधित करके मौजूदा 4500 रूपए प्रति माह से 6750 रूपये प्रति माह की वृद्धि करने संबंधी इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/4/2017 - P&PW(F) के अनुसरण में यह भी निर्णय लिया गया है कि वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन पर महंगाई भत्ते में हर बार 50% की वृद्धि होने पर सिविलियन पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले सतत् परिचर भत्ते को 25% की दर से बढ़ाया जाएगा ।

2. इस विभाग के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/4/2017-पी एंड पी डब्लू (एफ) की अन्य सभी नियम और शर्तें समान रहेंगी ।

3 भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के व्यक्तियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।

4. ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 11.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं 11-1/2016-IC और दिनांक 25.07.2017 के आईडी संख्या 11-1/2016-IC/Pt के तहत दी गई सहमति के साथ जारी किए जाते हैं ।

सु. चौधुरी

(सुजाशा चौधुरी)

निदेशक

फोन: 24635979

सेवा में

1. मानक वितरण सूची के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।

प्रतिलिपि : मानक पृष्ठांकित सूची के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय, उप-राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आदि ।

No.1/4/2017--P&PW (F)
Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners Welfare
****

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110 003
Dated the 3rd October, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Implementation of Government's decision on the recommendation of the VIIth Pay Commission on CCS (Extraordinary Pension) Rules, 1939 – Constant Attendant Allowance – regarding.

....

In continuation of this Department's OM No.1/4/2017-P&PW(F) dated 2nd August 2017, revising the Constant Attendant Allowance from the existing Rs.4500/- p.m to Rs.6750/- p.m. it has also been decided that the rate of Constance Attendant Allowance payable to the Civilian pensioners shall be increased by 25% every time the dearness allowance on the revised Pay in the Pay Matrix increases by 50%.

2. All other terms and conditions of this Department's OM NO. 1/4/2017-P&PW(F) dated 2nd August 2017 will remain the same.

3 In so far as persons belonging to Indian Audit and Accounts Department, these orders issue after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

4. These orders are issued with the concurrence of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide, their OM No.11-1/2016-IC dated 11.07.2017 and ID No.11-1/2016-IC/Pt dated 25.07.2017

5. Hindi version will follow.

Choudhury

(Sujasha Choudhury)
Director
Tel: 24635979

To

All Ministry/Department of the Government of India as per standard distribution list.

Copy to: President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Supreme Court of India, C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.